फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

कैलाश बनाम देवेन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा **मु.न. 06/22**

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.01.2022	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हम प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर् यह पाया कि प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा मानपुर तह. सिकराय जिला दौसा के हाल खाता संख्या 128 के ख0न0 1515 में अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं कब्जेकाश्त में किसी तरह का व्यवधान पैदा ना करें अप्रार्थीगणो की तलवी की जावे कोई आपप्ति हो तो नियत दिनांक 15.03.2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर उज्र पेश करे पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नियत दिनांक 15.03.2022 को पेश हो । [signature]	
7.2.22	मुलवाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [signature]	Nt. Personally [signature] [illegible] 04/02/22 7.2.22